बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0,
7, सरदार पटेल मार्ग–पटना–15

Doc. No:- BRPNNL/HQA / C00/ 07	Dt .13.01.2026	Page No…./…

|| कार्यालय आदेश ||

ROPEWAY AND RESORTS PRIVATE LIMITED, 8, Mullen Street, 3rd Floor, Kolkata-700020 को रोहतस जिलान्तर्गत रोहतासगढ पर्वत पर आकाशीय रज्जू मार्ग के निर्माण कार्य आवंटित किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि दिनांक–25.08.2020 एवं कार्य समाप्ति की तिथि दिनांक–24.02.2022 था। संवेदक द्वारा Design, Drawing एवं Execution में बरती गई लापरवाही परियोजना में विलम्ब का मुख्य कारण है, साथ ही Supervision Consultant WAPCOS द्वारा उठाये गये Queries का निराकरण में संवेदक द्वारा विलम्ब किया जाता रहा है।

इस परियोजना का Trial Run एवं Testing का कार्य दिनांक–19.12.2025 से प्रारंभ किया गया। दिनांक–26.12.2025 को Trial Run एवं Testing के दौरान Upper Terminal Point के Return Sheave से Wire Rope Slip करके बाहर निकलने के कारण Upper Terminal Point पर स्थित Towers क्षतिग्रस्त हो गया।

अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 के कार्यालय आदेश संख्या–209 दिनांक–26.12.2025 द्वारा इस घटना की जाँच हेतु प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना की अध्यक्षता में जाँच समिति गठित की गई है। उक्त जाँच समिति द्वारा दिनांक–27.12.2025 को स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षणोंपरांत उप मुख्य अभियन्ता, कार्य अंचल–1, पटना के पत्रांक–2438 (अनु0), दिनांक–30.12.2025 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

जाँच प्रतिवेदन के प्रारंभिक जाँच में पाया गया कि Upper Terminal Point (UTP) के Return Sheave से Wire Rope Slip को रोकने हेतु निरूपण एवं आरेखन में कोई प्रावधान नहीं किया गया, जो Safety Major का Violation है। संवेदक द्वारा बरती गई इस लापरवाही के आलोक में कार्यालय के पत्रांक–3781 दिनांक–30.12.2025 द्वारा स्पष्टीकरण की पृच्छा किया गया। तद्आलोक में संवेदक द्वारा अपने पत्रांक–RGH.130/3705 दिनांक–07.01.2026 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के अनुसार Loaded Cabin को Return Sheave के पहले Unloaded किया जाना था, परंतु संवेदक के प्रतिनिधि के लापरवाही के कारण Loaded Cabin Return Sheave से गुजरने के क्रम में Wire Rope Return Sheave से बाहर निकल गया, जिसके कारण Upper Terminal Point पर अवस्थित Towers क्षतिग्रस्त हो गया। इससे स्पष्ट होता है कि संवेदक द्वारा घोर लापरवाही बरती गई एवं Safety Major का Violation किया गया।

संवेदक द्वारा कार्य में किये गए विलंब, बरती गयी लापरवाही के कारण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 के ठेकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के नियम 8(क) (ii) एवं पथ निर्माण विभाग के कार्यालय आदेश संख्या–154 दिनांक–18.06.2015 के कंडिका 8, क्र0–1(b) के तहत संवेदक को 15 वर्षो के लिए काली सूची में डालने हेतु वरीय परियोजना अभियन्ता, कार्य प्रमंडल, आरा का पत्रांक–39 (अनु0), दिनांक–12.01.2026 एवं उप मुख्य अभियन्ता, कार्य अंचल–1 द्वारा अनुशंसा किया गया है।

उपरोक्त के आलोक में ROPEWAY AND RESORTS PRIVATE LIMITED, 8, Mullen Street, 3rd Floor, Kolkata-700020 को बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 के ठेकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के नियम 8(क) (ii) एवं पथ निर्माण विभाग के कार्यालय आदेश संख्या–154 दिनांक–18.06.2015 के कंडिका–8 क्र0–1(b) के तहत 15 वर्षो के लिए कालीकृत किया जाता है।

ह0/–
प्रबन्ध निदेशक
बि0रा0पु0नि0नि0लि0,पटना।

कृपया पृष्ठ पल्टें..........

ज्ञापांक–.../पटना, दिनांक–...

प्रतिलिपिः– सभी उप मुख्य अभियन्ता/सभी वरीय परियोजना अभियन्ता/वरीय योजना अभियन्ता/वरीय गुण नियंत्रण अभियन्ता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।

ह0/–
प्रबन्ध निदेशक
बि0रा0पु0नि0नि0लि0,पटना।

ज्ञापांक–.../पटना, दिनांक–...

प्रतिलिपिः– ROPEWAY AND RESORTS PRIVATE LIMITED, 8, Mullen Street, 3rd Floor, Kolkata-700020 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
प्रबन्ध निदेशक
बि0रा0पु0नि0नि0लि0,पटना।

ज्ञापांक–.........98........................./पटना, दिनांक–13/01/2026...

प्रतिलिपिः–बेवसाईट प्रभारी, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

13.1.26
प्रबन्ध निदेशक
बि0रा0पु0नि0नि0लि0,पटना।
13.01.2026